संशोधित प्राथमिक डिक्री

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियां जिला भीलवाडा

प्रकरण संख्या 121/2024 1729 दायर दिनांक 04.07.2024

अनवान

01. अनिता पुत्री हीरा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
02. गुलाबी पत्नि हीरा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
03. गायत्री पुत्री हीरा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
04. धापु पुत्री हीरा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
05. नन्दु पत्नि हीरा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
06. शिवराज पुत्र हीरा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
07. सुगना पुत्री हीरा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
08. सुशीला पुत्री हीरा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
09. हरिराम पुत्र हीरा जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया

..........वादीगण

बनाम

01. खाना पुत्र देबी जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
02. घीसी पुत्री देबी जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
03. शंकर पुत्र देबी जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया
04. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. **धर्मराज पुत्र शंकर जाति प्रजापत उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया**

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री मोहनलाल जोशी, सुमित जोशी...........विद्वान अधिवक्ता वादीगण
02.एक पक्षीय कार्यवाही ....विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: प्राथमिक डिक्री आदेश::–

डिक्री दिनांक ~~28/8/~~2025
25/8/25

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2025/780 दिनांक 07.05.2025 से प्राप्त पत्रांक में एक वादीगणों द्वारा अपने हिस्से में से आंशिक हिस्सा धर्मराज पुत्र शंकर जाति प्रजापत को बेचान करना बताया हैं, इसलिए उक्त खातेदार को भी वाद में पक्षकार बनाया जाकर वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत **धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त शामलाती खाते की **ग्राम इन्द्रपुरा** पटवार हल्का तिलस्वां भू.अभि.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलिया के खाता संख्या 134 में अंकित खसरा नम्बर 144, 145, 451, 452, 453, 454, 455 455/1, 562/454 कुल खसरे 09 क्षेत्रफल 2.1206 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02

हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादीगण 1/4 हिस्से खातेदार है। उक्त भूमि सह खातेदारान की होने से वादिगण न तो अपने हिस्से की भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ अर्जित कर पा रहे हैं। वादीगण को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। उक्त भूमि में वादीगण के 1/4 हिस्से का राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन कर राजस्व रेकॉर्ड में अलग– अलग दर्ज रिकॉर्ड की जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षीगणों को 03 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।

साक्ष्य वादीगण में अधिवक्ता वादि **ने जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किये जाने में सहमति जाहिर की।** वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी उक्त आराजी की प्रस्तुत की। जिसके अवलोकन से वादीगण 1/4 हिस्से के **शामलाती** भूमि के सह–खातेदार/काश्तकार है। जमाबन्दी में दर्ज खातेदार अपने अधिकार अधिपत्य की भूमि को विभाजन कराने का अधिकार रखता है।

प्रस्तुत वादपत्र वादीगण डिक्री किये जाने योग्य हैं। अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** डिक्री किया जाकर **प्रारम्भिक डिक्री** इस आशय की जारी की जाती है कि **ग्राम इन्द्रपुरा** पटवार हल्का तिलस्वां भू.अभि.नि.क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलिया के खाता संख्या 134 में अंकित खसरा नम्बर 144, 145, 451, 452, 453, 454, 455 455/1, 562/454 कुल खसरे 09 क्षेत्रफल 2.1206 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादीगण कुल 1/4 हिस्से खातेदार है। भूमि **का मौके पर** जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार **बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर** विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा 2 प्रति में तैयार कर इस न्यायालय में सुनवाई दिनांक 8 / 9 /**2025** तक प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 25 / 08 /2025 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां